पत्रांक– 239/सी०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता,
सभी अपर समाहर्त्ता,
सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सभी अंचल अधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 06/04/2026

विषय :– FIFO **के सिद्धान्त से अलग प्राथमिकता निर्धारित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक–83 दिनांक–09.01.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार के सात निश्चय के माध्यम से दिनांक–16.12.2025 से Ease of Living का लक्ष्य सभी बिहार वासियों के लिए निर्धारित की गई है। माननीय मुख्यमंत्रीजी के समृद्धि यात्रा एवं माननीय उप मुख्यमंत्रीजी का जन कल्याण संवाद के दौरान मुख्य सचिव, बिहार के प्रासंगिक निर्देश पर साप्ताहिक आयोजित **"सोमवारीय सभा"** एवं **"शुक्रवारीय दरबार"** में बड़े पैमाने पर लोग इस अपेक्षा के साथ आते हैं कि समस्याओं का समाधान तुरंत उसी दिन हो जाएगा ।

2. उक्त के आलोक में गत चार माह में सरलीकरण (Simplification) एवं मार्गदर्शन हेतु कई मौलिक परिपत्र माननीय उप मुख्यमंत्रीजी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किए गए हैं। गत दिनों में FIFO को 30.06.2026 तक स्थगित किया जा चुका है।

3. यह कि दिनांक–02.04.2026 को छपरा (सारण) जिला में एवं दिनांक–04.04.2026 को मुंगेर जिला में जन कल्याण संवाद के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आई कि विभाग के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कुछ लोगों को उचित प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। अतः सम्यक विचारोपरान्त पुनः उन श्रेणी को दोहराया जा रहा है जिसके आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर निस्तार किया जाना अपेक्षित है :–

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (संविधान के अनुच्छेद–15 के आलोक)
(ख) विधवा (संविधान के अनुच्छेद 39)
(ग) सेना में कार्यरत/सेवानिवृत्त जवान (सैनिक कल्याण)
(घ) अन्य राज्यों के कार्यरत सुरक्षाकर्मी
(ड.) अन्य राज्यों में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मी।

4. इन सभी को हर तिथि को सशरीर उपस्थित होने में स्पष्टतः कठिनाई है, अतः यह अभिलेख में अंकित करते हुए उन्हें Physical Appearance से बरी करना आवश्यक होगा एवं उनके स्थान पर वादी के Representative/वकील के माध्यम से उपस्थित होने की छूट भी देना श्रेयस्कर होगा ।

5. इनको आवश्यक सहयोग, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार एवं सम्मान देना सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है एवं सात निश्चय के स्तंभ–7 का कियान्वयन भी हो सकेगा ।

अतः अनुरोध है कि उक्त श्रेणी के लोगों को एवं उन लोगों को, जिन्हें छुट्टी लेकर अपने भूमि संबंधित कार्य हेतु अंचल कार्यालय का चक्कर/DCLR के कोर्ट में तारीख लेने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े, उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें भी सबका साथ सबका विकास में भागीदार बनाया जा सके एवं राजस्व प्रशासन और संवेदनशील तथा पारदर्शी हो सके ।

विश्वासभाजन
06/04/2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।